अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2017 अनवानी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रतनलाल निवासी डी–116 केदार चौक, पुरानी आबादी, वार्ड न0 4, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री विजयकुमार टिन्ना उपस्थित है। अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश ने प्रा0 पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 03.02.17 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से दिनांक 01.09.2015 से 31.03.2016 तक अल्प संख्यक प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में दिनांक 01.09.2015 की ही सूचना चाही थी जिसके संबंध में उनके कार्यालय के पत्र संख्या 52 दिनांक 23.02.17 से दिनांक 01.09.2015 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनां चाही थीः–

> **अल्प संख्यक प्रमाण पत्र बाबत दिनांक 01.09.2015 से 31.03.16 तक**
>
> दिनांक 01.09.205 को अल्प संख्यक प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतू संबंधित धर्म की संस्था द्वारा जारी उस धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण सलंग्न करना अनिवार्य था उक्त अवधि के दौरान श्रीगंगानगर में बौद्व धर्म के कितने अल्प संख्यक प्रमाण पत्र तहसील श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये गये है व उन प्रार्थना पत्रो में गंगानगर की किन किन वौद्व संस्थाओ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये गये है उन संस्थाओ के नाम व पता व अध्यक्ष का नाम व प्रत्येक संस्था द्वारा वौद्व धर्म का अनुयायी होने का उनके द्वारा प्रमाण पत्र की पांच पांच फौटो प्रतियां उपलब्ध कराने का श्रम करें।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में अपना प्रतिवेदन सं0 81 दिनांक 17.04.17 प्रस्तुत किया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि में कुल 148 अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये गये है। पूर्व में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 52 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा सूचना केवल दिनांक 01.09.2015 की दी गई थी क्योंकि पत्र में केवल दिनांक 01.09.2015 की ही सूचना मांगी गई थी।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 52 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि आप द्वारा दिनांक 01.09.15 को अल्प संख्यक प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतू संबंधित धर्म की संस्था द्वारा जारी उस धर्म अनुयायी होने का प्रमाण पत्र तहसील गंगानगर द्वारा जारी किये गये है के संबंध में रिपोर्ट चाही गई थी।

अतः मुताबिक ऑनलाईन चैक किये जाने पर उक्त अवधि में तहसील कार्यालय से एक भी अल्प संख्यक प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के तीसरे पृष्ट में दिनांक 01.09.15 को ही अल्प संख्यक प्रमाण पत्रो के संबंध में सूचना चाही है जो लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार अपीलार्थी को उत्तर दिनांक 23.02.17 प्रेषित किया गया है जिस अनुसार दिनांक 01.09.15 को कोई अल्प संख्यक प्रमाण पत्र जारी नही हुआ। किन्तु आवेदक के ऑन लाईन आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ट में दिनांक 01.09.15 से 31.03.16 तक की सूचना चाही गई है जिसमें अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में जारी किये गये प्रमाण पत्रो के संबंध में कुछ जानकारियां एवं पांच पाच प्रतियां भी चाही थी। जबकि तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन सं0 81 दिनांक 17.04.17 से इस कार्यालय को सूचित किया है कि उक्त अवधि में 148 अल्प संख्यक प्रमाण पत्र जारी किये गये है किन्तु इसकी सूचना अपीलार्थी को नही दी गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी के आवेदन पत्र का सही रूप से अवलोकन नही किया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का भलीभांती अवलोकन करें। अपीलार्थी द्वारा अल्प संख्यको को दिनांक 01.09.15 से 31.03.16 तक जारी किये गये प्रमाण पत्रों के संबंध में उनसे संबंधित जानकारियां और संबंधित प्रमाण पत्रो की प्रतियां चाही है। चूंकि जारी प्रमाण पत्रो का संबंध तृतीय पक्षो से भी है। अतः तहसीलदार सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर